मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक– एफ–16–1761 /2009/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय– **शस्त्र डीलरशिप लायसेंस नवीनीकरण की प्रकिया का सरलीकरण ।**

संदर्भ– इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ–16–255/2003/बी–1/दो, दिनांक 01.09.03

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें, जिसके अन्तर्गत शस्त्र डीलरशिप लायसेंसों के नवीनीकरण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2. अभी तक राज्य शासन व्दारा शस्त्र डीलरशिप लायसेंस का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। इस संबंध में प्रकिया में सरलीकरण करते हुए, अब से शस्त्र डीलर लायसेंस नवीनीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा। इस व्यवस्था अन्तर्गत राज्य शासन के नवीनीकरण के बाद प्रतिवर्ष एक बार जिला दण्डाधिकारी व्दारा शस्त्र विकेता की दुकान का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण कराया जावेगा। भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण–पत्र जिला दण्डाधिकारी व्दारा जारी किया जावेगा, जिसकी प्रतिलिपि गृह विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी ।

3. यह भी देखने में आया है कि कई बार नवीनीकरण के प्रस्ताव लायसेंस अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी शासन को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं एंव बिना लायसेंस नवीनीकरण के ही दुकानें नियम विरूद्व संचालित होती रहती हैं। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि वर्ष 2010 के नवीनीकरण के प्रस्ताव तीन वर्ष के लिये निर्धारित फीस के चालान की प्रति, पुलिस अधीक्षक एव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के जांच प्रतिवेदन के साथ अपने अभिमत सहित निर्धारित प्रपत्र में 31 जनवरी तक राज्य शासन को प्राप्त हो जावे । इसी प्रकार की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये सुनिश्चित की जाए।

4. **भविष्य में संलग्न निर्धारित प्रपत्र अनुसार ही नवीनीकरण प्रस्ताव भेजे जाएं ।**

संलग्न– निर्धारित प्रपत्र

11.1.10
(अनिल कुमार)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, गृह (पुलिस) विभाग

पृ.कमांक–एफ 16–1761/2009/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 11.1.2010

प्रतिलिपि–

समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

(अनिल कुमार)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, गृह (पुलिस) विभाग